राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1528/2010/भरतपुर

मैसर्स संजीव स्टोन ट्रेडर्स, बयाना भरतपुर

2. अपील संख्या 1529/2010/भरतपुर

मैसर्स वर्धमान टाईल्स, बयाना, भरतपुर

3. अपील संख्या 1547/2010/भरतपुर

मैसर्स गुप्ता स्टोन इण्डस्ट्रीज, बयाना भरतपुर

4. अपील संख्या 1549/2010/भरतपुर

मैसर्स स्वास्तिक स्टोन इण्डस्ट्रीज, बयाना भरतपुर

5. अपील संख्या 1554/2010/भरतपुर

मैसर्स बंशी पहाडपुर स्टोन इण्डस्ट्रीज बयाना, भरतपुर

6. अपील संख्या 1571/2010/भरतपुर

मैसर्स अग्रवाल स्टोन पोलिशिंग इण्डस्ट्रीज, बयाना भरतपुर

7. अपील संख्या 1572/2010/भरतपुर

मैसर्स आर्य इण्डस्ट्रीज, बयाना, भरतपुर

8. अपील संख्या 1573/2010/भरतपुर

मैसर्स त्रिरूपति स्टोन इण्डस्ट्रीज, बयाना, भरतपुर

9. अपील संख्या 1575/2010/भरतपुर

मैसर्स श्री महालक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज, बयाना, भरतपुर

10. अपील संख्या 1576/2010/भरतपुर

मैसर्स विजय लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज, बयाना, भरतपुर

...अपीलार्थीगण.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, मुख्यालय–बयाना,
वृत्त–''बी'', भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.गुप्ता,
अभिभाषक । ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक। ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04.02.2016

उक्त दसों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6ए(2) & (3) व धारा 18ए में संशोधन के तहत राजस्थान कर बोर्ड का क्षेत्राधिकार होने के फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड को स्थानान्तरित की गई। समस्त दसों प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति समस्त पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

लगातार.....................2

अपीलाधीन प्रकरणों के तथ्य कर निर्धारण आदेशों के अनुसार संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 2007–08 में ट्रेडिंग एकाउन्ट के अनुसार स्टोन कटिंग का जोब वर्क किया गया। जॉब वर्क के सम्बन्ध में व्यवसायियों को एफ फार्म पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने जॉब वर्क के सम्बन्ध में एफ फार्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 सपठित वैट अधिनियम, 2003 की धारा 23/24(2) के तहत मांगे सृजित की गई।

दसों प्रकरणों में अपीलार्थीगण की तरफ से श्री ओ.पी.गुप्ता अधिवक्ता एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रारम्भिक ऐतराज उठाते हुए प्रकरणों में अपील क्षेत्राधिकार अपीलीय अधिकारी का बताते हुए कथन किया कि प्रकरण केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के प्रभाव में आने से पूर्व के हैं। यह प्रावधान दिनांक 1.6.2010 से प्रभावी हुए हैं, जबकि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 07–08 के हैं तथा कर निर्धारण पारित हो चुके थे। यह भी कथन किया कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के तहत वे प्रकरण ही राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिनमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) या 6ए(3) के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। धारा 18ए(1) व (3) को उद्धरित किया है :–

18A. Appeals to highest appellate authority of State.-

(1) Notwithstanding anything contained in a State Act, any person aggrieved by an order made by the assessing authority under sub-section (2) of section 6A, or an order made under the provisions of sub-section (3) of that section, may, notwithstanding anything contained in the general sales tax law of the appropriate State, prefer an appeal to the highest appellate authority of the State against such order:

Provided that any incidental issues including the rate of tax, computation of assessable turnover and penalty may be raised in such appeal.

(2) …………..

(3) The highest appellate authority of a State may, after giving both the parties an opportunity of being heard, pass appropriate order.

केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) की ओर ध्यान आकृष्ट कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरणों में घोषणा पत्र प्रपत्र–'एफ' प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिन्हें जांच में गलत पाये जाने के तथ्य विद्यमान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत

लगातार.....................3

अपीलाधीन प्रकरणों के तथ्य कर निर्धारण आदेशों के अनुसार संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 2007–08 में ट्रेडिंग एकाउन्ट के अनुसार स्टोन कटिंग का जोब वर्क किया गया। जॉब वर्क के सम्बन्ध में व्यवसायियों को एफ फार्म पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने जॉब वर्क के सम्बन्ध में एफ फार्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 सपठित वैट अधिनियम, 2003 की धारा 23/24(2) के तहत मांगे सृजित की गई।

दसों प्रकरणों में अपीलार्थीगण की तरफ से श्री ओ.पी.गुप्ता अधिवक्ता एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रारम्भिक ऐतराज उठाते हुए प्रकरणों में अपील क्षेत्राधिकार अपीलीय अधिकारी का बताते हुए कथन किया कि प्रकरण केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के प्रभाव में आने से पूर्व के हैं। यह प्रावधान दिनांक 1.6.2010 से प्रभावी हुए हैं, जबकि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 07–08 के हैं तथा कर निर्धारण पारित हो चुके थे। यह भी कथन किया कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के तहत वे प्रकरण ही राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिनमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) या 6ए(3) के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। धारा 18ए(1) व (3) को उद्धरित किया है :–

18A. Appeals to highest appellate authority of State.-

(1) Notwithstanding anything contained in a State Act, any person aggrieved by an order made by the assessing authority under sub-section (2) of section 6A, or an order made under the provisions of sub-section (3) of that section, may, notwithstanding anything contained in the general sales tax law of the appropriate State, prefer an appeal to the highest appellate authority of the State against such order:

Provided that any incidental issues including the rate of tax, computation of assessable turnover and penalty may be raised in such appeal.

(2) …………..

(3) The highest appellate authority of a State may, after giving both the parties an opportunity of being heard, pass appropriate order.

केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) की ओर ध्यान आकृष्ट कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरणों में घोषणा पत्र प्रपत्र–'एफ' प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिन्हें जांच में गलत पाये जाने के तथ्य विद्यमान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत

लगातार.....................3

प्रकरणों पर अपीलीय अधिकार अपीलीय अधिकारी का है, जिन्हें अपील निष्पादित करनी चाहिए। तर्क के समर्थन में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय **(2012) 54 वी.एस.टी.472 मैसर्स ट्रोपिकाना ब्रेवरेजेज बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक** को उद्धरित किया है।

अग्रिम कथन यह भी किया कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत दिनांक 1.3.2006 से पूर्व धारा 25 जिसका अंकन निम्न प्रकार से है :–

25. Transfer of pending proceedings

(1) On and from the date when the Authority is constituted under section 19, any proceeding arising out of the provisions contained in this Chapter-

(i) which is pending immediately before the constitution of such Authority before the appellate authority constituted under the general sales tax law of a State or of the Union territory, as the case may be; or

(ii) which would have been required to be taken before such appellate Authority, shall stand transferred to such Authority on the date on which it is established.

के प्रभावी करने के कारण उपधारा (2) के परन्तुक जिसे दिनांक 1.6.2010 के संशोधन से विलोपित किया गया है, में यह प्रावधान था कि यदि राज्य के उच्चतम अपीलीय ऑथोरिटी यह पाती है कि अपीलार्थी प्रथम अपील प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सका हो तो प्रकरण ऐसी ऑथोरिटी को अग्रेषित किया जा सकता है। प्रावधान इस प्रकार था :–

"PROVIDED that where the highest appellate authority finds that the appellant has not availed of the opportunity of filing first appeal before appellate authority, such case shall be forwarded to such authority."

इन आधारों पर अपीलों में क्षेत्राधिकार अपीलीय अधिकारी का बताते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय स्तर पर लम्बित अपील को राज्य के उच्चतम अपीलीय ऑथोरिटी राजस्थान कर बोर्ड को स्थानान्तरण किये जाने हेतु आवेदन किया था, जिसे स्वीकार करते हुए अपीलें कर बोर्ड को स्थानान्तरित की गई हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का प्रारम्भिक ऐतराज अब उठाना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। फिर भी माननीय कर बोर्ड उचित समझे तो प्रकरण अपीलीय अधिकारी को स्थानान्तरित करने में कोई ऐतराज नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर विचार किया गया। केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों को ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय अधिनियम के Act No. 20 of 2002 Sec 151 w.e.f. 11.5.02 से धारा 6ए(1) में विक्रय के अन्यथा माल के स्थानांतरण के प्रमाण के रूप में CST (Registration & Turnover) Rules, 1957 के नियम 12(5) में विहित घोषणा पत्र फॉर्म 'एफ' को बाध्यकारी बनाते हुए इस प्रावधान में यह जोड़ा गया था कि –

लगातार.....................4

"and if the dealer fail to furnish such declaration, then the movement of goods shall be deemed for all purposes of this Act to have been occasioned as a result of sale."

इसी प्रावधान के अनुरूप उपधारा (2) भी प्रावधित की गई थी। उपधारा (2) के तहत किये गये माल स्थानांतरण के परिणामस्वरूप जिस राज्य को माल का स्थानांतरण हो रहा है, उस राज्य में विक्रय पर स्थानीय कराधान अधिनियम के तहत कर चुकाया जाता है, लेकिन यदि इस प्रकार का स्थानांतरण जांच में गलत पाया जाकर अन्तर्राज्यीय विक्रय पाया जाता है तो जिस राज्य से माल का संचलन (Movement) होता है, वह राज्य धारा 3(ए) के तहत करारोपण करता है। ऐसी स्थिति में एक ही विक्रय पर केन्द्रीय अधिनियम के तहत तथा माल प्राप्ति राज्य में स्थानीय कर दोनों आरोपित हो जाते हैं। ऐसे दोहरे करारोपण के प्रकरणों में संव्यवहारों की विधिक प्रकृति निर्धारण हेतु केन्द्रीय अधिनियम में दिनांक 17.3.2005 से प्रावधान चैप्टर VI के अन्तर्गत धारा 19 से 26 प्रावधित की गई, जिसमें Authority to settle disputes in course of interstate Trade or Commerce के विषय में प्रावधान किये गये हैं।

धारा 19 में Central Sales Tax Authority ('CSTAA') के संस्थापन, क्षेत्राधिकार तथा कार्यविधि के प्रावधान किये गये हैं। धारा 20 में राज्य के उच्चतम अपीलीय ऑथोरिटी (राजस्थान में 'कर बोर्ड') द्वारा पारित अपीलों से प्राप्त प्रकरणों में अपील का क्षेत्राधिकार दिया गया है। CSTAA की स्थापना के साथ ही धारा 24 में स्थापित Authority for Advance ruling के पास लम्बित प्रकरण की CSTAA को स्थानांतरित हो जायेंगे। धारा 25 की उपधारा (1) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि CST (Amendment) Act 2005 के प्रभाव में आने की तिथि से धारा 24(1) के तहत स्थापित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित प्रकरण (राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी से प्राप्त अपीलों के अलावा) को मय रेकॉर्ड तुरन्त राज्य के उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी को स्थानांतरित हो जायेगी। उपधारा (2) के तहत राज्य के उच्चतम अपीलीय प्रधिकारी स्थानीय अधिनियम में प्रावधित अनुसार अपील का निस्तारण करेंगे। इस उपधारा के साथ एक परन्तुक भी था, जो कि दिनांक 1.6.2010 से विलोपित हुआ है, के अनुसार यदि राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी यह पाये कि अपीलार्थी प्रथम अपील प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाया है तो ऐसे अपीलीय अधिकारी को प्रकरण अग्रेषित कर सकता है। दिनांक 17.3.2005 से केन्द्रीय अधिनियम में धारा 20 को जोड़े जाने पर कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा धारा 6ए सपठित धारा 9 के कर निर्धारण आदेश की अपील सीधे CSTAA को की जाती थी। इसलिए धारा 25 में संशोधन से पूर्व किसी स्तर पर लम्बित अपील Central Authority को स्थानान्तरित होती थी। धारा 18ए के प्रावधानों के प्रभाव में आने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत करने के प्रावधान विद्यमान थे।

लगातार.....................5

इन प्रावधानों के आलोक में प्रस्तुत प्रारम्भिक ऐतराज उचित प्रतीत होता है। सभी अपीलों में अपीलार्थी द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय व्यवहार में संव्यवहार के इतर माल के राजस्थान राज्य से स्थानान्तरण के समर्थन में धारा 6ए(2) सपठित नियम 12(5) के तहत विहित घोषणा प्रपत्र 'एफ' प्रस्तुत नहीं किये हैं। यह विधिक स्थिति केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन दिनांक 11.2.2005 से प्रभावी है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(1) स्पष्ट है :–

S.6A.- Burden of proof, etc., in case of transfer of goods claimed otherwise than by way of sale.-

(1) Where any dealer claims that he is not liable to pay tax under this Act, in respect of any goods, on the ground that the movement of such goods from one State to another was occasioned by reason of transfer of such goods by him to any other place of his business or to his agent or principal, as the case may be, and not by reason of sale, the burden of proving that the movement of those goods was so occasioned shall be on that dealer and for this purpose he may furnish to the assessing authority, within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit, a declaration, duly filled and signed by the principal officer of the other place of business, or his agent or principal, as the case may be, containing the prescribed particulars in the prescribed form obtained from the prescribed authority, along with the evidence of despatch of such goods and **if the dealer fails to furnish such declaration, then, the movement of such goods shall be deemed for all purposes of this Act to have been occasioned as a result of sale.**

उपधारा (2) में अंकित तथ्य सत्य पाये जाने कि कोई अन्तर्राज्यीय विक्रय नहीं किया गया है, पर ही स्थानांतरण विक्रय के इतर माना जा सकता है। उपधारा (2) स्पष्ट है :–

(2) If the assessing authority is satisfied after making such inquiry as he may deem necessary that the particulars contained in the declaration furnished by a dealer under sub-section (1) are true, he may, at the time of, or at any time before, the assessment of the tax payable by the dealer under this Act, make an order to that effect and thereupon the movement of goods to which the declaration relates shall be deemed for the purposes of this Act to have been occasioned otherwise than as a result of sale.

Explanation - In this section, "assessing authority", in relation to a dealer, means the authority for the time being competent to assess the tax payable by the dealer under this Act.

लगातार.....................6

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उक्त उद्धरित निर्णय में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 'एफ' फॉर्म अस्वीकार कर सृजित मांग के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है :–

> "........that section 18A(1) of the Central Sales Tax Act had no application to a case where the assessee claimed exemption and to substantiate the said claim, he did not produce form F. The enquiry that was contemplated under sub-section (2) of section 6A was an enquiry regarding the correctness of the particulars contained in the declaration. When there was no form F, the question of conducting an enquiry to find out the correctness of the particulars contained in the said form did not arise. The appellant had preferred appeal only against that portion of the order directing to pay taxes in respect of turnover which was not supported by F form. In the appeal the appellant had furnished F forms, seeking the benefit. The appellate authority had two options either to entertain form F produced before the appellate authority, or to set aside the order and remand the matter to the assessing authority with a direction to take note of the forms which were filed before him and pass an order under section 6A(2). If the appellate authority was not willing to adopt, either of these two methods it was open to him to dispose of the appeal on merits. However the order saying that the appeal which was validly preferred against an order under section 9(2) of the Act as not maintainable in view of insertion of section 18A(1) of the Act was not proper...."

केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन वित्त अधिनियम संख्या 3 of 2006 से दिनांक 1.3.2006 से अपील के प्रावधान धारा 20 के तहत किये गये। यह अपील राज्य के उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध की जाती है। वित्त विधेयक 2010 प्रभावी दिनांक 1.6.2010 से पूर्व धारा 20 की उपधारा (1) निम्न प्रकार थी :–

S. 20.- Appeals

(1) The provisions of this chapter shall apply to appeals filed by any aggrieved person against any order of the highest appellate authority of a State, made under section 6A read with section 9.

Explanation. - For the purposes of this section and sections 21, 22 [illegible]

प्रस्तुत वर्तमान अपीलों में विवादित कर निर्धारण वर्ष 2007–08 तक के निहित हैं, जिनमें पूर्व में ही मूल कर निर्धारण आदेश पारित किये जा चुके थे, जिनमें कराये गये जॉब वर्क को अपीलार्थी ने इसलिए घोषित नहीं किया, क्योंकि जॉब वर्क राज्य/राज्य के बाहर के व्यवहारियों द्वारा कराया गया था। प्राप्त जॉब राशि के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रपत्र "एफ" अपेक्षित किये गये जिसकी पालना अपीलार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने पर वर्तमान विवादित कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार प्रकरणों में 'एफ' फॉर्म प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही अपील प्रस्तुत की गई थी परन्तु अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों को सुविचारित किये बिना ही उक्त अपीलें राजस्थान कर बोर्ड को स्थानान्तरित कर विधिक भूल की है, इस प्रकार उपलब्ध तत्कालीन प्रावधानों के आलोक में तथा प्रकरणों में 'एफ' फॉर्म प्रस्तुत नहीं होने के तथ्य के मद्देनजर कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसा ही निर्णय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ (2014) 9 RGSTR 375 (RTB) Rajasthan Tax Board, Ajmer मैसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान द्वितीय, जयपुर में प्रतिपादित किया गया है। अतः कर बोर्ड को प्रेषित अपीलें सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी को लौटाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत रूप से अपीलों का निष्पादन करें।

परिणामस्वरूप अपीलें प्रारम्भिक ऐतराज को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी को लौटाई जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

4.2.2016

(मदन लाल)
सदस्य